न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 413/2023

अपीलांट्स

आम जनता ग्राम आसाडी जरिये–
1. पदमसिंह पुत्र शेरसिंह
2. दानसिंह पुत्र प्रागसिंह
3. मूलसिंह पुत्र शेरसिंह
4. गुलाबसिंह पुत्र राणसिंह

(जाति राजपूत, निवासी आसाडी तह0 गडरारोड, जिला बाडमेर)

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये–
1. जिला कलेक्टर बाडमेर
2. तहसीलदार गडरारोड (बाडमेर)
3. सरपंच ग्रा0पं0 आसाडी, पंचायत समिति गडरारोड
4. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम आसाडी, तहसील गडरारोड, जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध भूमि आवंटन आदेश जिला कलेक्टर बाडमेर क्रमांकः प.12(3)(5)राज/2020/1449 दिनांक 25.02.2020

उपस्थित–
1. श्री मोहनलाल खत्री, वकील अपीलांट्स
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पा0 सं0 1 व 2
3. रेस्पो0 सं0 3, 4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 31.05.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलाट्स ने जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसाडी को भवन एवं खेल का मैदान हेतु ग्राम आसाडी के खसरा नम्बर 744/539 रकबा 28.02 बीघा किस्म गै0मु0गोचर में से 17..00 बीघा भूमि आवंटन के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी शिव के पत्रांकःराज/2019/2887 दिनांक 11.12.2019 द्वारा तहसील गडरारोड स्थित ग्राम आसाडी के खसरा नम्बर 744/539 रकबा 28.02 बीघा किस्म गै0मु0गोचर में से 17.00 बीघा भूमि रा0उ0मा0वि0 आसाडी को भवन एवं खेल मैदान हेतु आवंटन

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

करने की अभिशंषा के साथ प्रस्ताव प्रेषित किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत आसाडी द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.09.2019 एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

उक्त प्रस्ताव प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 आसाडी द्वारा पूर्व में विद्यालय भवन एवं खेल का मैदान हेतु भूमि आवंटन नही होने तथा मौके पर विद्यालय भवन निर्मित होने से ग्राम पंचायत आसाडी में भूमि आवंटन की मांग पर उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा तहसीलदार गडरारोड से प्रस्ताव प्राप्त कर जिला कलेक्टर बाडमेर को भूमि आवंटन हेतु अग्रेसित किया गया।

जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी शिव एवं तहसीलदार गडरारोड की अभिशंषा के आधार पर ग्राम आसाडी तहसील गडरारोड के खसरा नम्बर 744/539 रकबा 28.02 बीघा किस्म गै0मु0गोचर मे से 17.00 बीघा (संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार) भूमि की किस्म खारीज करते हुए राजस्थान भू राजस्व (स्कूलो, कॉलेजों, चिकित्सालयों, औषद्यालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य लोकोपयोगी भवनों के निर्माण हेतु भूमि आवंटन) नियम 1963 के अंतर्गत प्रधानाचार्य रा0उ0 मा0वि0 आसाडी को राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना कमांकः प.6(25)राज–6/2014/66 दिनांक 07.06.2019 के तहत निःशुल्क आवंटन किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों की विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि ग्राम आसाडी के ख0नं0 744/539 रकबा 28.02 बीघा गै0मु0गोचर भूमि है, जो गांव के पशुधन के चारागाह के रूप में काम आती है। जिसका भौतिक स्वरूप नष्ट करके इसमें से 17 बीघा भूमि रा0उ0मा0वि0 आसाडी को गलत तरीके से आवंटन कर दिया गया है। जिसमें ग्राम आसाडी की आम जनता से कोई राय नही ली जाकर बाले–बाले तरीके से ग्रा0पं0 की बैठक कार्यवाही में उक्त प्रस्ताव पारित कर दिया गया व इसके आधार पर जिला

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कलेक्टर बाडमेर ने राज0 भू राजस्व अधिनियम व नियम के प्रावधानों के विपरित आवंटन आदेश पारित कर दिया। आवंटित भूमि ग्राम आसाडी की आबादी के निकट है। जो ग्राम आसाडी की जनता के पशुधन के चारागाह के रूप में उपयोग में आती है और गांव का पशुधन इस गोचर भूमि के चारे–पानी से जीवन यापन करता है। इसके अलावा उक्त भूमि में आवागमन हेतु नरेगा योजना के तहत 2 सडकों का निर्माण हो रखा है। उक्त भूमि पशुओं के लिए संरक्षित है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम आसाडी से 8 कि.मी. की दूरी पर दूसरे ग्राम अगासडी के खसरा नं0 494 रकबा 139.12 बीघा में से रकबा 17 बीघा भूमि चारागाह में परिवर्तित की गई है। उक्त विद्यालय भवन लगभग 40 वर्ष पूर्व गलत तरीके से गै0मु0गोचर भूमि में बना हुआ है। ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन प्रस्तुत कर उक्त भवन को अन्यत्र स्थानांतरित कर राजकीय भूमि में नया भवन बनवाने के लिए निवेदन किया गया था, जिस पर आश्वासन के उपरांत कार्यवाही लंबित है। पूर्व में सरपंच द्वारा उक्त गै0मु0गोचर भूमि में निर्मित 2 सडकों को बन्द करने के प्रयोजन से चार दिवारी व पक्का निर्माण करने का प्रयास किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट–पदमसिंह ने मा0 सिविल न्यायालय बाडमेर में वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन सं0 119/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2019 को अंतरिम स्थगन पारित कर आगामी आदेश तक खसरा नं0 744/539 में किसी प्रकार का कोई निर्माण नही करने बाबत स्थगन पारित किया हुआ है, जो प्रभावी है। प्रकरण में सरपंच द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को छिपाते हुए, मा0 सिविल न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने के बावजूद उक्त प्रस्ताव के आधार पर जिला कलेक्टर बाडमेर से आवंटन आदेश पारित करवाया गया है। जो नियम विरूद्ध व ग्राम आसाडी की जनता के प्रतिकूल होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं0 3 के साथ उल्लेखित दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में तहसीलदार गडरारोड द्वारा दिनांक 13.10.2020 को हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर के अपीलाधीन आदेश द्वारा रा0उ0मा0वि0 आसाडी के खसरा नं0 744/539 रकबा 28.02 बीघा किस्म गै0मु0गोचर में से 17 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है। उक्त आवंटन से पूर्व विद्यालय भवन, शौचालय तथा खाली जमीन बच्चों के खेल मैदान हेतु उपयोग में ली जा रही थी, शेष भूमि पर बबूल की झाडिया उगी हुई है। उक्त भूमि चारागाह हेतु उपयोग में नही आ रही है। वर्तमान में ग्राम आसाडी में चारागाह हेतु प्रर्याप्त मात्रा में गै0मु0गोचर 1327.08 बीघा व ओरण 224.13 बीघा भूमि उपलब्ध है। जो ग्राम की कुल पशु संख्या 1319 के अनुसार प्रर्याप्त है। उक्त गै0मु0गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.11.17 व 4.10.18 के अनुसार नियमानुसार ग्राम पंचायत आसाडी के राजस्व ग्राम अगासडी के खसरा नं0 494 रकबा 139.12 बीघा किस्म बारानी सोयम में से 17 बीघा भूमि की किस्म परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्रा0पं0 द्वारा पूर्व में स्वीकृत विद्यालय के क्रमोन्नत होने पर विद्यालयी आवश्यकताओं में विस्तार के दृष्टिगत उनकी मांग पर विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया। विद्यालय भवन आबादी के किनारे व मुख्य सड़क से जुडता हुआ, उपयुक्त स्थान पर है। कार्यालय में ग्रामवासियों द्वारा विद्यालय भवन को स्थानांतरित किए जाने का कोई अभ्यावेदन विचाराधीन नही है।

उक्त भूमि आवंटन की कार्यवाही के समय किसी न्यायालय का कोई स्थगन लागू नही था। अपीलांट द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश बाडमेर में दिवानी विविध प्रकरण दिनांक 22.11.19 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.19 को मौका रास्ता पर आगामी आदेश तक निर्माण नही करने हेतु आदेशित किया गया। अन्य किसी कार्यवाही को स्थगित नही किया गया है। विद्यालय के मेनगेट के आगे से आबादी में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

है। अपीलांट्स द्वारा सार्वजनिक हित में रोडे अटकाने के लिए उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। जो खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली व उसके सलग्न दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी शिव के पत्रांकः 2887 दिनांक 11.12.19 द्वारा ग्राम आसाडी तहसील गडरारोड के खसरा नम्बर 744/539 रकबा 28.02 बीघा किस्म गै0मु0गोचर में से 17 बीघा भूमि रा0उ0मा0वि0 आसाडी व खेल मैदान हेतु प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 आसाडी को आवंटन करने की अभिशंषा के साथ प्रस्ताव प्रेषित किया गया। इस संबंध में ग्राम पंचायत आसाडी द्वारा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 20.9.19 में प्रस्ताव सं0 2 पारित कर अनापत्ति जारी की गई। तदउपरांत तहसीलदार गडरारोड की जांच रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा भूमि आवंटन के प्रस्ताव पर अपनी अभिशंषा की गई है। अपील में अपीलांट्स द्वारा किए गये कथनों के विरूद्ध तहसीलदार गडरारोड द्वारा प्रस्तुत जवाब/तथ्यात्मक रिपोर्ट समाधान युक्त है। अतः जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसमत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिमाण स्वरूप अपील अपीलांट्स सारहीन व आधारहीन होने से तदनुसार खारीज की जाती है तथा अपीलीधीन आदेश कमांक 1449 दिनांक 25.02.2020 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31 मई, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

31.05.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर